भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या–113

दिनांक 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट रद्द होना

113. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हाः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास गोवा वासियों और अन्य लोगों, जिनका पासपोर्ट *विलहेते डि आइडेंटिडेड* (बी.आई) आफ पुर्तगाल के कारण जिसे उन्होंने *कार्टाओ डि सीडाडाओ* में परिवर्तित करा लिया था, के कारण रद्द करने के संबंध में आंकड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय को पुर्तगाल सरकार के समक्ष उठाया है क्योंकि बीआई पंजीकरण के कारण भारत में लोगों को वैधानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस मुद्दे के समाधान तथा इस संबंध में सुपरिभाषित नीतिगत ढांचे हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) पणजी को पुर्तगाली राष्ट्रीयता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप भारतीय पासपोर्ट वापस करने के लिए विगत 3 वर्षों के दौरान 2000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। विगत 3 वर्षों में आरपीओ द्वारा 114 पासपोर्ट रद्द किए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों को विनियमित करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम 1967 और नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में सुपरिभाषित कानून मौजूद है।

*****